

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-9(बजट)

सं0- 62/2017/1290/सात-न्याय-9(बजट)-2017-3(सामान्य)/2013

लखनऊ: दिनांक: 23 जून,2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय अनुभाग-9(बजट) में स्थापित कम्प्यूटर प्रिन्टर टोनर की रिफिलिंग डीलिंग्स सर्विस बी-29 सेक्टर- जे, अलीगंज लखनऊ द्वारा की गयी है, जिससे सम्बन्धित बिल सं0-44 दिनांक 13-06-2017, जो मूलरूप में संलग्न है, की धनराशि **रु01200/- (रूपये एक हजार दो सौ मात्र)** का भुगतान डीलिंग्स सर्विस बी-29 सेक्टर- जे, अलीगंज, लखनऊ को किए जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014- न्याय प्रशासन- आयोजनेतर- 114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)- 04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता- 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय " के नामे डाला जायेगा ।

रंगनाथ पाण्डेय

प्रमुख सचिव

**सं0- 62/2017/1290(1)/सात-न्याय-(बजट)-2017 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महालेखाकार 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 3- विशेष सचिव, न्याय-8(लेखा प्रकोष्ठ ) अनुभाग, 30प्र0 शासन को देयक की मूल प्रति संलग्न करते हुए आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया देयक धनराशि **रु01200/- (रूपये एक हजार दो सौ मात्र)**का भुगतान डीलिंग्स सर्विस बी-29 सेक्टर- जे, अलीगंज, लखनऊ के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाता सं0-032505000015 अलीगंज ब्रांच-39 चन्द्रलोक कालोनी अलीगंज, लखनऊ को आई0एफ0एस0सी0- कोड-आई.सी;आई.सी.-0000325 में कराने की व्यवस्था करें ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- डीलिंग्स सर्विस बी-29 सेक्टर- जे, अलीगंज, लखनऊ ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग- 12 ।
- 7- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्डबुक न्याय-9(बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।